सं0-2552/62-2-2016-2/3(03)/2016

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 03 फरवरी,2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत तेरहवें वित्त आयोग एवं बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन चेकडैम की व्यय न हो पाने वाली धनराशि को डिपाजिट लेखें में डाले जाने की अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-500/ल0सिं0/बजट-डिपाजिट/ 2015-16,दिनांक 22.09.2016 एवं शासनादेश सं0-855/62-2-2016-2/3(03)/2016, दिनांक 30.03.2016 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-746/दस--2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 03.03.1997 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत जनपद- चित्रकूट को तेहरवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना में अवमुक्त धनराशि रू0-696.94 लाख में से धनराशि रू0-586.00 लाख तथा बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन चेकडैमों के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि रू0-20.80 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-606.80 लाख (रूपये छः करोड छः लाख अस्सी हजार मात्र) व्यय न हो पाने की स्थिति में आपके पत्र दिनांक 22.9.2016 द्वारा किये गये अनुरोध् के क्रम में सम्यक विचारोपरांत प्रश्नगत धनराशि को कार्यदायी संस्था के डिपाजिट लेखे में 31 मार्च,2017 तक डाले जाने की अनुमति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उक्त धनराशि संबंधित कार्यदायी संस्था के रेमिटेन्स लेखाशीर्षक "8782" में जमा कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 03.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से डी0सी0एल0 निर्गत करके प्रश्नगत धनराशि का उपयोग किया जा सकेगा।

2. प्रदेश में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इससे आदर्श आचार संहिता का किसी भी दशा में उल्लंधन न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अ0शा0प0सं0-यू0ओ0-ई-2-1229/दस-2016, दिनांक 13.01.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-2552(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- सहायक निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- संबंधित भारतीय स्टेट बैंक, शाखा चित्रकूट।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।